राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.16(1)वि.मा./2024 जयपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की अ.शा.टीप प.8(2)(1)निर्वा./2024/9685 दिनांक 15.10.2024 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट ECI/PN/150/2024 दिनांक 15.10.2024 को सन्दर्भित करते हुये 27–झुंझुनूं (जिला झुंझुनूं), 67–रामगढ़ (जिला अलवर), 88–दौसा (जिला दौसा), 97–देवली उनियारा (जिला टोंक), 110–खींवसर (जिला नागौर), 156–सलूम्बर (अ.ज.जा.) (जिला उदयपुर) एवं 161–चौरासी (जिला डूंगरपुर) सात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप चुनाव **दिनांक 13.11.2024 (बुधवार)** को होना अधिसूचित किया गया है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 प.व./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त चुनाव हेतु मतदान के **दिनांक 13.11.2024 (बुधवार)** को 27–झुंझुनूं जिला झुंझुनूं, 67–रामगढ़ जिला अलवर, 88–दौसा जिला दौसा, 97–देवली उनियारा जिला टोंक, 110–खींवसर जिला नागौर,156–सलूम्बर (अ. ज.जा.) जिला उदयपुर एवं 161–चौरासी जिला डूंगरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1.मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3 प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4.प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5.प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6.प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7.प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12.सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।

C:\2006\chouhan\elec.doc

13.क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक / मुम्बई / नागपुर / दिल्ली, जयपुर।

14.निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।

15.अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।

16. सम्बन्धित कोषाधिकारी राजस्थान।

17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।

18. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नंम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन–302018

19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।

20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।

22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।

23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

24. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।

25. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001

26. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।

27. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।

28. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।

29. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

30. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।

31. मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।

19.10.24

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

C:\2006\chouhan\elec.doc